परिपत्र सं0. 16/2017-सीमाशुल्क

एफ.सं0. 605/85/2016-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड
प्रतिअदायगी प्रभाग
*****

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ प्रधान महानिदेशक,

मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,

प्रघान आयुक्त और आयुक्त,

(सीबीईसी के अंतर्गत सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: ईपीसीजी और अग्रिम प्राधिकारपत्र योजनाओं के अंतर्गत निर्यात दायित्व पूर्ति की निगरानी संबंधी।

मुझे संगत सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में विनिर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के मामले में राजस्व के संरक्षण के लिए कार्रवाई की शुरुआत किए जाने के निर्देश संबंधी परिपत्र सं0. 5/2010-सीमाशुल्क दिनांक 16.03.2010 के पैरा 2(घ) के प्रति आपका ध्यान आकृष्ठ किए जाने का निर्देश हुआ है। इन निर्देशो को दिनांक 18 जनवरी, 2011 के अनुदेश के पैरा 7 (iii) में दोहराया गया है।

2. कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह कहते हुए इन अनुदेशों के कार्यांवयन में कठिनाई जताई है कि जब बाँड/बीजी के प्रवर्तन हेतु निर्यातक को जारी किया गया कोई नोटिस निर्णय हेतु लिया जाता है तो निर्यातक दलील देता है कि उन्होंने ईओडीसी के जारीकरण हेतु डीजीएफटी को दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं और उनके कारण बताओ नोटिस की अधिनिर्णयन प्रक्रिया डीजीएफटी द्वारा उन्हें ईओडीसी जारी किए जाने तक स्थगित रखी जाऐ। तथापि, कॉल बुक में इन कार्यवाहियों को लम्बित नही रखा जा सकता है क्योंकि वे परिपत्र सं0. 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14.12.1995 में निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करते। इससे मांग की पुष्टि और आगे की मुकदमेबाजी प्रशस्त होती है। यदि सीमाशुल्क अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा एफटीपी / एचबीपी के अनुसार ईओडीसी जारी करने के लिए समय अवधि के साथ जोड़ी जाती है तो मुकदमेबाजी परिहार्य है।

3. मामले की जांच की गई है। यह नोट किया गया कि मुख्य आयुक्त सम्मेलन दिनांक 08-09/01/2016 के दौरान यह निर्णय किया गया था कि लाइसेंस/प्राधिकार पत्र धारक जो प्रासंगिक सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में निर्धारित अवधि के भीतर ईओडीसी/मोचन पत्र जमा नहीं करता है के लिए एक साधारण नोटिस पर्याप्त होगा। इन मामलों में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसे मुख्य आयुक्त सम्मेलन दिनांक 03.01.2017 में भी दोहराया गया था जिसमें यह सहमति हुई थी कि ईओडीसी के जारीकरण में डीजीएफटी द्वारा लिए गए समय के मद्देनज़र प्रथम स्तर पर ही कारण बताओ नोटिस के जारीकरण की अभिक्रिया चूककर्ताओं को एक साधारण नोटिस के जारीकरण द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है।

4. सभी अग्रिम प्राधिकार और ईपीसीजी अधिसूचनाओं में उप/सहायक सीमाशुल्क आयुक्तों को बिना किसी सीमा के ईओ के पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने की अवधि को बढ़ाए जाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी जारी किए जाने तक सीमाशुल्क की कार्रवाई लम्बित रखने के लिए राजस्व सूचनाओं में अंतर्निहित प्रावधान है। इसके अलावा, डीजीएफटी द्वारा स्वयं ईओडीसी के जारीकरण की प्रक्रिया को लाइसेंस धारक द्वारा बीआरसी प्रस्तुत किए जाने से जोड़ा गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अनुसार बीआरसी स्वयं आरबीआई द्वारा अनुमत अवधि के अनुसार

ही जमा की जा सकती है।लाइसेंस/प्राधिकार पत्र भी डीजीएफटी द्वारा विस्तार, यदि कोई हो, के अध्यधीन है । अत:, एफ़टीपी /एचबीपी में दी गई सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में दी गई अवधि के संरेखण की आवश्यकता नहीं है।

5. उपर्युक्त के मद्देनज़र, क्षेत्रीय अधिकारी लाइसेंस/प्राधिकार पत्र धारकों को निर्यात दायित्व-निर्वहन के सबूत प्रस्तुत करने के लिए सरल नोटिस जारी कर सकतेहैं । यदि लाइसेंस/प्राधिकार पत्र धारक डीजीएफटी को अपने आवेदन का सबूत प्रस्तुत करते हैं, तो मामले को डीएजीएफटी द्वारा तय किए जाने तक लम्बित रखा जा सकता है। डीजीएफटी के आरए के साथ नियमित संपर्क के लिए अनुदेश सं0. 609/119/2010-डीबीके दिनांक 18.1.2011 के अनुसार स्थापित संस्थागत तंत्र का उपयोग ऐसे मामलों का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। तथापि,ऐसे मामलों में जहां लाइसेंस/प्राधिकार पत्र धारक ईओडीसी/रिडेम्प्शन सर्टिफिकेट, एक्सटेंशन/क्लब्बिंग इत्यादि के लिए अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहां वसूली के लिए कार्रवाई को बांड/बैंक गारंटी के प्रवर्तन द्वारा शुरू किया जा सकता है । धोखाधड़ी, पूर्ण रूप से चोरी, आदि के मामलों में, क्षेत्रीय अधिकारी प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना जारी रखें ।

6. कार्यांवयन में परेशानी, यदि कोई हो, को बोर्ड के नोटिस में लाया जाए ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
निदेशक (प्रतिअदायगी)
दूरभाष: 23360581